

जल जीवन मिशन फेज-3 के अन्तर्गत जनपद कौशाम्बी में नयी पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन हेतु डी0पी0आर0 गठन एवं तकनीकी अनुमोदन के सन्दर्भ में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की दिनांक- 21.07.2022 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

आज दिनांक 21.07.2022 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिलाधिकारी कौशाम्बी की अध्यक्षता में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक प्रारम्भ हुयी जिसमें निम्न अधिकारी/सदस्य उपस्थित रहे।

1	जिलाधिकारी, कौशाम्बी।	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी।	उपाध्यक्ष
3	प्रभागीय वनाधिकारी, कौशाम्बी।	सदस्य
4	मुख्य चिकित्साधिकारी, कौशाम्बी।	सदस्य
5	जिला विकास अधिकारी, कौशाम्बी।	सदस्य
6	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कौशाम्बी।	सदस्य
7	जिला कृषि अधिकारी, कौशाम्बी।	सदस्य
8	जिला पंचायत राज अधिकारी, कौशाम्बी।	सदस्य
9	जिला सूचना अधिकारी, कौशाम्बी।	सदस्य सचिव
10	अधिशारी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, कौशाम्बी।	कार्यदायी संस्था
11	अधिशारी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), कौशाम्बी।	
12	प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 बाबा-जी.ए. इन्फ्रा (जे0वी0), कौशाम्बी।	

सर्वप्रथम अधिशारी अभियन्ता जल निगम द्वारा पूर्व की बैठक का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया गया, जिसका समिति ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष डी0डब्ल्यू0एस0एम0, कौशाम्बी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। अधिशारी अभियन्ता जल निगम/सदस्य सचिव द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित फर्म द्वारा जनपद कौशाम्बी में जल जीवन मिशन फेज-3 के अन्तर्गत प्रस्तावित ग्रामों में से 04 नग नयी पेयजल योजनाओं के डी0पी0आर0 प्रस्तुत किये गये। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र0 सं0	विधाना समा क्षेत्र का नाम	पेयजल योजना का नाम	विकास खण्ड	योजना में सम्मिलित राजस्व ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की सं0	कुल वर्क कास्ट (रु0 लाख में)	सेन्टेज (रु0 लाख में)	कुल डी0पी0आर0 लागत (रु0 लाख में)	डिजाइन वर्ष में प्रति व्यक्ति लागत (रु0 हजार में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Manjhanpur	CHAK THAMBHA	MANJHANPUR	1	919	404.798	42.88	447.678	4931
1	Manjhanpur	JAJOULI	MANJHANPUR	2	701	330.479	35.01	365.489	5768
2	Manjhanpur	PINDRA SAHAWANPUR	MANJHANPUR	1	869	332.015	35.17	367.185	4670
3	Manjhanpur	IBRAHIMPUR	MANJHANPUR	2	653	328.486	34.8	363.286	6341
4	Manjhanpur	ADAHARA	MANJHANPUR	1	575	279.317	29.59	308.907	5981
5	Manjhanpur	HISAMPUR	MANJHANPUR	1	423	223.849	23.71	247.559	6359
6	Manjhanpur	MANMAU	SIRATHU	1	344	275.59	29.19	304.780	5237
7	SIRATHU	RAGHAWAPUR	SIRATHU	1	326	254.01	26.91	280.920	5103
8	SIRATHU	RAMPUR MADUKI	SIRATHU	1	390	268.54	28.45	296.990	5484

अधिशारी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत किये जा रहे डी0पी0आर0 में प्रस्तावित कार्य का स्थलीय परीक्षण जूनियर इंजीनियर एवं सहायक अभियन्ता(एस0डब्ल्यू0एस0एम0) द्वारा किया गया है, तदोपरान्त उसकी तकनीकी रवीकृति उ0प्र0 जल निगम के सक्षम स्तर से प्राप्त कर ली गयी है।

बैठक में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा निम्न निर्णय लिए गये :-

- जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के समक्ष प्रस्तुत की गयी 09 नग नयी पेयजल योजना के डी0पी0आर0 को इस प्रतिबद्धता के साथ अनुमोदन हेतु निर्णय लिया गया है कि जिला स्तर पर गठित तकनीकी समिति द्वारा उपरोक्त आगमन के कार्यों के सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उसे सुनिश्चित करने एवं अनुपालन करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म मे0 बाबा-जी.ए. इन्फ्रा (जे0वी0), का होगा।

(कार्यवाही- मे0 बाबा-जी.ए. इन्फ्रा (जे0वी0),)

- जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति मे0 बाबा-जी.ए. इन्फ्रा (जे0वी0), द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन का तकनीकी परीक्षण जल निगम से कराने के उपरान्त प्रेषित किया जा रहा है। उक्त प्राक्कलन में यदि भविष्य में अन्य संस्था/जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा प्राक्कलन में प्रस्तावित कार्यों के विपरीत विवरण अथवा दरों में भिन्नता परिलक्षित होती है तो इसका सम्पूर्ण दायित्व फर्म का होगा। साथ ही साथ फर्म उक्त डी0पी0आर0 को अपने व्यय पर संशोधित करेगी, जिसके लिए फर्म को कोई भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

(कार्यवाही- मे0 बाबा-जी.ए. इन्फ्रा (जे0वी0),)

- अधिशारी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्र सं० 344/डब्ल्यू-17/2020-21 दिनांक 04.06.2021 के क्रम में 6.50 घंटे पम्पिंग हॉवर को लेते हुए वर्ष 2038 हेतु डिजाईन किया गया है। समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि परियोजना के पूर्ण होने के उपरान्त टेल इन्ड एवं क्रिटिकल प्वाइंट पर मिनिमम टर्मिनल हेड 07 मीटर प्राप्त किया जायेगा। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म मे० बाबा-जी.ए. इन्फ्रा (जे०वी०), की होगी। इनका अन्तिम भुगतान फर्म द्वारा प्रमाण पत्र एवं अधिशारी अभियन्ता जल निगम एवं अधिशारी अभियन्ता सिचाई विभाग से सत्यापन कराने के उपरान्त किया जाये।

(कार्यवाही- अधिशारी अभियन्ता जल निगम/सिचाई विभाग/ मे० बाबा-जी.ए. इन्फ्रा (जे०वी०),)

- जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा शासनादेश संख्या 07/2022/430/छिहत्तर-1-2022-25सम/2019, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 04 मार्च, 2022 के क्रम सं० 05.00 करोड़ से कम लागत के 02 नग प्राक्कलनों को तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त अधिशारी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही- अधिशारी अभियन्ता जल निगम/ मे० बाबा-जी.ए. इन्फ्रा (जे०वी०),)

अध्यक्ष महोदय द्वारा फर्म के प्रतिनिधि से जल जीवन मिशन फेज-3 के अवशेष प्राक्कलन तैयार करने के सन्दर्भ में जानकारी चाही गयी, जिस पर फर्म के प्रतिनिधि द्वारा यह अवगत कराया गया कि दिनांक 23.07.2022 तक फर्म उक्त प्राक्कलन को प्रस्तुत करने की स्थिति में होगी। जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा फर्म के प्रतिनिधि को शीघ्रातिशीघ्र अवशेष प्राक्कलन को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

अन्त में बैठक जिलाधिकारी/अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सधन्यवाद समाप्त हुयी।


जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
कौशाम्बी।

कार्यालय अधिशारी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) कौशाम्बी।

पत्रांक 1055 / 6-74 / 540 दिनांक - 22/07/2022

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी।
2. जिला विकास अधिकारी, कौशाम्बी।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, कौशाम्बी।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, कौशाम्बी।
5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कौशाम्बी।
6. जिला कृषि अधिकारी, कौशाम्बी।
7. जिला पंचायत राज अधिकारी, कौशाम्बी।
8. अधिशारी अभियन्ता वाटर रिसोर्स/सिचाई कौशाम्बी।
9. अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कौशाम्बी।
10. जिला सूचना अधिकारी, कौशाम्बी।
11. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० बाबा-जी.ए. इन्फ्रा (जे०वी०), कौशाम्बी।


अधिशारी अभियन्ता/सदस्य सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
कौशाम्बी।